न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 55/2006 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री श्रीनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण।
2. श्रीमती कपूरी बेवा श्री श्रीनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण।
3. कैलाशचन्द शर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा
4. बाबूलाल पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा,
5. ललता पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा,

5/1 श्रीमति तारादेवी बेवा श्री ललता,

5/2 चेतन शर्मा पुत्र श्री ललता नाबालिग जरिये सरपरस्त माता खुद,

5/3 शालनी पुत्री स्व0 श्री ललता जाति ब्राह्मण नाबालिग जरिये सरपरस्त माता खुद श्रीमति तारादेवी निवासी मौहल्ला मीणापाडी अलवर राज0।

6. दौलत पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा,
7. राजू पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा निवासीयान मौहल्ला मीणापाडी अलवर राजस्थान बहैसियत वारिस काबिज जायदाद श्री श्रीनारायण शर्मा (मृतक),
8. रामजीलाल पुत्र श्री तुलसीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बलदेवगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांटान

ब्नाम

1. नवलकिशोर पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी पालका अलवर हाल निवासी मुंशी बाजार अलवर कथित वारिस पन्नालाल पुत्र नोनाराम ब्राहमण निवासी पालका तहसील व जिला अलवर राज0।

.....वादी/रेस्पोडेण्ट

2. मुरली पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी पालका,
3. सुक्खा पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण,
4. श्रीमति कलावती बेवा रामकिशन जाति ब्राहमण,
5. सूरज पुत्र श्री रामकिशन,
6. खेमू पुत्र श्री रामकिशन जाति ब्राहमण,
7. जगदीश पुत्र श्री रामकिशन,
8. नरेश पुत्र श्री रामकिशन,

9. बबली पुत्र श्री रामकिशन ब्राहमण निवासीयान ग्राम पालका तहसील अलवर बहैसियत वारिसान मिन जानिब रामस्वरूप पुत्र श्री भवानी निवासी ग्राम पालका तहसील व जिला अलवर राज0
10. गौरी शंकर पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पालका तहसील व जिला अलवर हाल निवासी मुंशी बाजार अलवर राज0 (मृतक),
10/1 श्रीमति पार्वती बेवा श्री गौरीशंकर,
10/2 नारायण पुत्र श्री गौरीशंकर,
10/3 जर्मनलाल पुत्र श्री गौरीशंकर,
10/4 नवलकिशोर पुत्र श्री गौरीशंकर,
10/5 प्रभूदयाल पुत्र श्री गौरीशंकर,
10/6 राजेश पुत्र श्री गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम पालका तहसील व जिला अलवर हाल निवासी मुंशी बाजार अलवर राजस्थान बहैसियत वारिस काबिज जायदाद मिन जानिब गौरीशंकर पुत्र श्री मोतीलाल,
11. भैरू पुत्र श्री रामजीलाल,
12. विजय पुत्र श्री रामजीलाल (मृतक)
12/1 उर्मिला धर्मपत्नि स्व0 श्री विजय कुमार निवासी बी--28 सुदर्शनपुरा इण्डिस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर राज0,
12/2 सुनील पुत्र स्व0 श्री विजय कुमार निवासी बी--28 सुदर्शनपुरा इण्डिस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर राज0,
12/3 मुकेश पुत्र स्व0 श्री विजय कुमार निवासी बी–28 सुदर्शनपुरा इण्डिस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर राज0,
12/4 राकेश पुत्र स्व0 श्री विजय कुमार निवासी बी–28 सुदर्शनपुरा इण्डिस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर राज0,
13. अशोक पुत्र श्री रामजीलाल मृतक जरिये वारिसान,
13/1 श्रीमति कृष्णा शर्मा पत्नि श्री अशोक कुमार,
13/2 संदीप शर्मा पुत्र स्व0 अशोक कुमार शर्मा,
13/3 कु. महिमा शर्मा पुत्री स्व0 श्री अशोक कुमार शर्मा निवासीयान ग्राम पालका तहसील व जिला अलवर राज0,
14. रविन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पालका तहसील व जिला अलवर राजस्थान बहैसियत वारिस काबिज जायदाद रामजीलाल पुत्र श्री मोतीलाल निवासी ग्राम पालका तहसील व जिला अलवर राज0।

.....रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–
1. श्री राजबहादुर, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री शैलेन्द्र भार्गव, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–20.12.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 03.05.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दावा के साथ इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 5, 15, 16, 37, 38, 39, 40 जिसके हाल खसरा नंबर 5, 18, 19, 41, 42, 43, 44 एवं 45 कायम हुये हैं, के काश्तकार पन्नालाल, नोन्दा राम व रामस्वरूप पुत्रान भवानी बक्स बहिस्से काश्तकार बराबर थे। पन्नालाल द्वारा एक वसीयत अपनी चल व अचल संपत्ति की तारीख 18.10.1982 को वादी रेस्पो0 के हक में पंजीबद्ध कराई, इस प्रकार पन्नालाल का वादी रेस्पो0 तन्हा काबिज वारिस है। रामस्वरूप पुत्र भवानी का देहान्त हो चुका है।रामस्वरूप के मुरली, सुक्खा, रामकिशन लडके हुये। रामकिशन का भी देहान्त हो चुका है। इसके वारिस कलावती बेजवा, सूरज, खेमू, जगदीश, नरेश, बबली हैं। तुलसीराम का इस आराजी में कोई हक नही है। सेटलमेंट विभाग से मिलकर विपक्षी गौरीशंकर, रामजीलाल, श्रीनारायण तथा तुलसीराम ने अपना नाम गलत तरीके से दर्ज करा लिया जिसकी दुरूस्ती के लिये दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज, हुक्मइम्तनाई का दिनांक 14.06.1996 को पेश किया है। दावा का इलम तुलसीराम को था फिर भी उसने दिनांक 17.07.1993 को आराजी खसरा नंबर 54, 55, 18, 19, 20, 41, 42, 44, 45, 52, 53 का अवैध रूप से बेचान कर दिया तथा खरीदारान उपरोक्त बयनामा के आधार पर अपने हक में इंतकाल दर्ज करवा रहे हैं व रिकार्ड की स्थिति बदलवा रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2006 को वादी रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर लिया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ अदालत में पेश किये गये वादपत्र में जो खसरा नंबर दर्ज किये हैं उनसे वादी रेस्पो0 का कोई ताल्लुक वो वास्ता नही है। रेस्पो0 गैरकाबिज है जिसका दावा पोषणीय नही है। एक सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। पन्नालाल द्वारा कोई वसीयत अपने जीवनकाल में की ही नही है। वसीयत फर्जी व कूटरचित है। बयनामा रजिस्टर्ड शुदा है जिसे निरस्त करने का दावा सिविल कोर्ट में ही पेश किया जा सकता है।तुलसीराम के विरूद्ध कोई इत्तला जारी नहीं की गई। वादी रेस्पो0 दो जगह आराजी में हक पाने का अधिकारी नही है। पन्नालाल का ज्यादा से ज्यादा एक तिहाई हिस्सा था जिससे ज्यादा पन्नालाल को हक प्राप्त नही होते हैं। अधीनस्थ अदालत में वादी रेस्पो0 द्वारा गलत सजरा पेश किया गया है जो किसी भी प्रकार से साबित नही है। चेतराम के तीन लडके थे छाजूराम, छोटेलाल, नोन्दाराम। छाजूराम के भवानी बक्स, रामस्वरूप के पुत्रान रामकिशन व मुरली व सुक्खा पैदा हुये हैं। छोटेलाल लाऔलाद फौत हो गया। छोटेलाल ने पन्नालाल को गोद लिया। नोन्दाराम के पन्नालाल, मोतीलाल, बृजलाल पैदा हुये हैं।बृजलाल के भोरेलाल व तुलसीराम पैदा हुये हैं। मोतीलाल के गौरीशंकर, श्रीनारायण व

रामजीलाल हैं। भोरेलाल भी गोद चला गया। रामजीलाल के स्वर्गवास के बाद इन्तकाल भैरू, विजय, अशोक व रविन्द्र के नाम चढा है। वादी रेस्पो0 का आधा हिस्सा आराजी में नही था। तुलसीराम को हक प्राप्त होते हैं। तुलसीराम के नाम इंतकाल मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार चढा है। तुलसीराम ने स्वयं के हकूक आराज़ी सही प्रकार से विक्रय किया है जिसे विक्रय करने का उसको अधिकार प्राप्त था। बयनामा रजिस्टर्ड शुदा है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही हो उसका इन्तकाल रोके जाने का कोई आधार नही है। सहखातेदार के हक में सभी के बराबर बराबर हक हकूक होते हैं। पन्नालाल तन्हा गैर मौरूसी नही थे अधीनस्थ अदालत द्वारा गैर मौरूसी का गलत अर्थ लगाया गया है। उक्त वसीयत को कानूनी रूप से प्रोबेट नही कराया गया है ऐसी स्थिति में बिना प्रोबेट प्राप्त किये वसीयत के बारे में कोई हक प्राप्त नही होते हैं। विक्रय पत्र किसी भी प्रकार से अवैध व गैरकानूनी नही है जिस बयनामे का इन्तकाल रोके जाने का प्रश्न ही नही उठता है। राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पाबन्द किये जाने का कोई प्रावधान नही है। पन्नालाल गोद चला गया है ऐसी सूरत में अधिकार आराजी में समाप्त हो चुके हैं। तन्हा रामस्वरूप मालिक काश्तकार खातेदार हो गया है। पन्नालाल जहां गोद गया है उस आराजी में उसे हक मिल गया है ऐसी सूरत में पन्नालाल का इस आराजी में कोई हक नही है। रामस्वरूप पुत्र भवानी बक्स की आराजी खसरा नंबर अलग है, जिससे वादी रेस्पो0 का कोई ताल्लुक व वास्ता नही है। वादी रेस्पो0 रामस्वरूप की आराजी में हक पाने का अधिकारी नही है।अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई तथा अधीनस्थ अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने तथा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 का बहस के दौरान कथन है कि आराजी खसरा नंबर 5, 15, 16, 37, 38, 39, 40 जिसके हाल खसरा नंबर 5, 18, 19, 41, 42, 43, 44 एवं 45 कायम हुये हैं, के काश्तकार पन्नालाल, नोन्दा राम व रामस्वरूप पुत्रान भवानी बक्स बहिस्से काश्तकार बराबर थे। पन्नालाल द्वारा एक वसीयत अपनी चल व अचल संपत्ति की तारीख 18.10.1982 को वादी रेस्पो0 के हक में पंजीबद्ध कराई, इस प्रकार पन्नालाल का वादी रेस्पो0 तन्हा काबिज वारिस है। रामस्वरूप पुत्र भवानी का देहान्त हो चुका है।रामस्वरूप के मुरली, सुक्खा, रामकिशन लडके हुये। रामकिशन का भी देहान्त हो चुका है। इसके वारिस कलावती बेजवा, सूरज, खेमू, जगदीश, नरेश, बबली हैं। तुलसीराम का इस आराजी में कोई हक नही है। सेटलमेंट विभाग से मिलकर विपक्षी गौरीशंकर, रामजीलाल, श्रीनारायण तथा तुलसीराम ने अपना नाम गलत तरीके से दर्ज करा लिया जिसकी दुरूस्ती के लिये दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज, हुक्मइम्तनाई का दिनांक 14.06.1996 को पेश किया है। दावा का इलम तुलसीराम को था फिर भी उसने दिनांक 17.07.1993 को आराजी खसरा नंबर 54, 55, 18, 19, 20, 41, 42, 44, 45, 52, 53 का अवैध रूप से बेचान कर दिया तथा खरीदारान उपरोक्त बयनामा के आधार पर अपने हक में इंतकाल दर्ज करवा रहे हैं व रिकार्ड की स्थिति बदलवा रहे हैं। अतः अधीनस्थ अदालत द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।
2016 आर.बी.जे (23) पेज 244, 2014 आर.बी.जे (21) पेज 637.

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की गई। 2004(2) आर.आर.टी पेज 1140, 1987 आर.आर.डी पेज 202, 2015 (1) आर.आर.टी पेज 451, 2015(2) आर.आर.टी पेज 1214, 2018 (1)आर.आर.टी पेज 292, 2016 (1) आर.आर.टी पेज 374.

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 03.05.2006 का अवलोकन किया । प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू नही होती क्योंकि प्रकरण के तथ्य प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतों से भिन्न हैं जो कि जमाबंदी संवत 2012 एवं तत्पश्चात की जमाबंदियों के मिलान से स्पष्ट है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं क्योंकि वसीयत की विधिकता के संबंध में राजस्व न्यायालय निष्कर्ष देने में सक्षम नही है।

राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज सही है या गलत है, बंदोबस्त विभाग द्वारा रिकार्ड में परिवर्तन क्यों, कैसे किया गया है, ये सभी तथ्य मूल वाद में निर्धारित किये जाने हैं। यहां प्रथमदृष्टया वसीयत व जमाबंदी संवत 2012 के आधार पर कब्जे से संबंधित बिन्दु मुख्य है। कब्जे की अवधारणा जमाबंदी के आधार पर ही की जाती है। जमाबंदी के आधार पर ही आराजीयात का वसीयतनामा किया गया है। वसीयतनामा के आधार पर कब्जा भी सुपुर्दगी माना जाता है। उक्त जमाबंदी संवत 2012 एवं उसके आधार पर किये गये वसीयतनामा के आधार पर कब्जा है तथा वाद के दौरान आराजीयात के संबंध में और कोई वाद बहुलता न बढे, इसके अलावा अस्थाई निषेधाज्ञा के दौरान भी विवादित आराजीयात का विक्रय किये जाने की बारम्बारता को रोकने के उद्देश्य से तहत अदालत द्वारा जारी निषेधाज्ञा ताफैसला सही, विधि के अनुकूल है, उसमें यह न्यायालय हस्तक्षेप करना उचित नही समझता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 03.05.2006 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 20.12.19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर